न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 17/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021/203

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
न्यूवोको विस्टास कॉ. लि. निम्बोल (एन.सी.पी.) तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री परिक्षित खिड़ीया सिनियर विधि अधिकारी न्युवोको विस्टास कॉ. लि. निम्बोल (एन.सी.पी.)		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 29-11-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 प्रकरण संख्या 31/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के बअनवान सरकार बनाम महाप्रबन्धक नुवोको सिमेन्ट को अपास्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलांट कम्पनी न्यूवोको विस्टास कॉ. लि. निम्बोल तहसील जैतारण में सीमेन्ट उत्पादन कई वर्षो से कर रही है। पूर्व में मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्राथमिक लिमिटेड का समागम मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से व बाद में निरमा लिमिटेड का मर्जर न्यूवोको विस्टास कॉ. लि. में हो गया मौजा निम्बोल खसरा नंबर 314 सिवायचक भूमी होकर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में रिकोर्ड में दर्ज है तथा खसरा नंबर 409 व 409/1 अपीलांट की रूपान्तरकरण सुदा भूमी है जिसमें दस्तावेज अपील के संलग्न पेश है खसरा नंबर 314 निम्बोल सड़क से होते हुए खसरा नंबर 409 व 409/1 की अपीलांट की रूपान्तरण सुदा भूमी व उस पर निर्मित प्लॉट/भवन में आवागमन के प्रयोजनार्थ रास्ते की आवश्यकता होने से अपीलांट ने जिलाधिश महोदय दिनांक 12.9.2013 को आवेदन किया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने जरिये पत्रांक F12(3)राजस्व/13/3265 दिनांक 8.10.2013 के जरिये वादग्रस्त भूमी के साथ ही lay out plan चाहा गया जो कम्पनी द्वारा दिनांक 8.10.2013 को प्रस्तुत कर दिया गया। तथा उन्हीं के निर्देशानुसार अपीलांट कम्पनी कॉलोनी का दूसरा भाग रोड से अधिक निकट होने से निकटतम स्थल से रास्ता प्रस्तावित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड जैतारण से अनापति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था तथा पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के साथ तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेश किया था उक्त सभी दस्तावेजात की फोटोप्रतियां अपील के संलग्न है। प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार जैतारण द्वारा खसरा नंबर 378 मे से 1.6 बिस्वा भूमी रास्ते के रूप में छोड़ने के बदले में अपीलांट कम्पनी की स्वामित्व सुदा भूमी खसरा नंबर 389 में से 16 बिस्वा राज्य सरकार के पक्ष में जरिये समर्थन पत्र दिनांक 9.5.2014 के लेते हुए खसरा नंबर 389 मे से 16 बिस्वा भूमी जरिये नामान्तरकरण संख्या 3050/4.6.2014 के भूमी गोचर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते हुए अलग से तरमीम भी कर समय–समय पर अपने अनुशंषा एवं चैक लिस्ट सहित उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष भिजवाई गई इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के कार्यालय से ही खसरा नंबर 378 में से 16 बिस्वा भूमी रास्ते के छोड़ते हुए इसकी एवज में खसरा नंबर 389 में से [illegible] गैर मुमकिन गौचर दर्ज है। इस प्रकार खसरा नंबर 378 में से 16 बिस्वा [illegible] मानते हुए अपना पत्र उपखण्ड अधिकारी जैतारण के माध्यम [illegible] को भिजवाया गया। तहसीलदार द्वारा स्वयं अनुशंषा करने के उपरान्त [illegible] कार्यालय से अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी। इस [illegible] ग्राम पंचायत निम्बोल [illegible] प्रस्ताव लिया जाकर इस खसरा नंबर 378 की 16 बिस्वा भूमी को सार्वजनिक रास्ता की भूमी मानते हुए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया था उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 378 की भूमी पर अपीलांट कम्पनी अतिचारी के रूप में काबिज नहीं है। जबकि खसरा नंबर 378 की भूमी पर सार्वजनिक रास्ता चल रहा है कंपनी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.............2

Ansh

जिला कलक्टर, पाली

उक्त रास्ते को कभी अपना निजी होने बाबत दावा नहीं किया है। कंपनी द्वारा उक्त रास्ते को रोका गया है मौके पर रास्ता सार्वजनिक रास्ता आमजनहितार्थ बना हुआ है व तहसीलदार जैतारण के निर्देशो के अनुसार ही बनाया गया है। उक्त रास्ते पर आवागमन करने मात्र से कम्पनी को अतिक्रमी मानना विधिसम्मत नहीं है। कम्पनी को उक्त रास्ते की आवश्यकता थी उक्त खसरा नंबर 378 की भूमी के बदल में कम्पनी द्वारा खसरा नंबर 389 में से 16 बिस्वा भूमी समर्पित की गई जिसके खसरा नंबर 385/5 है इस कारण भी कंपनी के खसरा नंबर 378 पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। उक्त सभी कार्यवाही राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार ही गौचर भूमी के बदले क्षतिपूर्ति के लिए बराबर भूमी लेते हुए जनहितार्थ आवागमन के लिए गौचर भूमी उपलब्ध पाये जाने के प्रावधानों के अनुरूप ही समस्त कार्यवाही की गई। फिर भी नायब तहसीलदार द्वारा एक प्रकरण उक्त रास्ते की खसरा नंबर 378 की भूमी पर 10 बिस्वा भूमी पर अतिक्रमण करना मानकर जैर अपील प्रकरण संख्या 31/2021 दर्ज कर कम्पनी को अतिचारी घोषित करते हुए 50/– रूपये जुर्माना एवं भौतिक रूप से आराजी से बेदखल के आदेश जारी किए है जो निरस्तनीय होने से जैर अपील प्रकरण में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किय कि खसरा नंबर 378 की भूमी राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गौचर दर्ज है तथा उक्त भूमी गोचर दर्ज होने के कारण ही पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट अनुसार नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा जैर अपील कार्यवाही की गई। सीसी रोड़ निर्माण कर अतिक्रमण करने पर यह कार्यवाही की गई है। इस प्रकार जैर अपील कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट निरस्त फरमावे। जो रास्ता सीधा प्लांट की तरफ जाता है वह सार्वजनिक नहीं हो सकता है तथा भूमी समर्पण 16 बिस्वा सिद्धिविनायक सीमेन्ट कम्पनी द्वारा किया गया था एवं अतिक्रमण न्यूव़ोको विस्टास कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया गया है भूमी गौचर दर्ज होने से नायब तहसीलदार यह कार्यवाही करने हेतु अधिकृत थे तथा यह कार्यवाही की गई इस कारण भी अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं मातहत अदालत की पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया इस अपील में 2 विचारणीय बिन्दु है:–

1. क्या नायब तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया ?
2. क्या नायब तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय करते समय अन्य राजकीय आदेश इत्यादि का विवेचन किया गया ?

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी को मातहत अदालत द्वारा 2.7.2021, 29.7.2021 व उसके बाद एक अवसर और दिया जिसमें 16.8.2021 को पत्रावली पेश होना लिखने के उपरांत 6.8.2021 किया जाना प्रतित होता है अर्थात मौका देने के पश्चात दिनांक में बदलाव कर दिया जिस पर अपीलांट को नोटेड नहीं कराया तथा निर्णय पारित कर दिया उसी दिवस के मध्यान्हन पश्चात अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पुनर्विचारार्थ पेश किया कि उनकी सिविल न्यायालय में सुनवाई थी इस लिए लेट हो गया। वकील अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पुनर्विचारार्थ व सुनवाई हेतु तलब किए जाने के आदेश दिए जवाब शामिल मिसल किया गया पुनः संशोधित आदेश उसी दिवस को पारित कर दिया गया है एवं जवाब का विवेचन नहीं किया। इस प्रकार निर्णय के अवलोकन से भी जवाब का विवेचन नहीं किया जाना स्पष्ट है न ही अन्य राजकीय आदेशों का विवेचन किया गया है। जबकि भूमी उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा ही गौचर की क्षतिपूर्ति की गई थी। तथा भूमी के बदले मे समर्पित भूमी का नामान्तरकरण संख्या 3050/4.6.2014 भी तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाकर गौचर भूमी दर्ज की गई थी उक्त क्षतिपूर्ति के संज्ञान में होने के बावजूद तथा पटवार हल्का के पास रेकर्ड होने के बाद भी उक्त सार्वजनिक रास्ते की भूमी होते हुए जेर अपील कार्यवाही की गई जो पूर्ण [illegible] उसके बिना विवेचन के निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

अपील अपीलांट [illegible] नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा अपने प्रकरण संख्या 31/2021 अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के बअनवान सरकार बनाम महाप्रबन्धक न्यूवोको विस्टास कॉ. लि. पारित निर्णय दिनांक 6.8.2021 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:11 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)